IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 172 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Jaswinder Singh. ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand. ... Respondent

REPORT/ RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.12.2022 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

INDEX

Srl	Particulars	Pages
		208
1.	Report /Response by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand in compliance of order dated 02.12.2022 passed by this Hon'ble Tribunal	209–220
2.	ANNEXURE R-1: A true copy of the order dated 02.12.2022 passed by this Hon'ble Tribunal.	221–224
3.	ANNEXURE R-2: Copy of the Google map	225
4.	ANNEXURE R-3 A copy of the letter dated 20.01.2023	226–227
5.	ANNEXURE R-4: Copy of letter dated 17.06.2018	228–229
6.	ANNEXURE R-5: Copy of letter dated 13.08.2018	230–233
7.	ANNEXURE R-6: Copy of the order-sheet	234–248

Filed by:

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand /Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave, MayurVihar Phase-I, Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.172 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Jaswinder Singh. ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand. ... Respondent

43
31/01/2023

NOTARY GOVT. OF INDIA
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
NOTARIAL

REPORT /RESPONSE BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.12.2022 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

I, Vinay Shankar PandeyS/o ShriRam PrakashPandeyaged about 53years, presently posted as District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent and duly authorised to file present Report by way of Affidavit on behalf of State of Uttarakhand.

2. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 18.04.2022 passed the following directions:-

"The grievance in this letter petition is against illegal mining which is being carried out by use of heavy machinery in private reserved forest land situated in village RasoolPurMethiBeri, District Haridwar. About 1 km length of River Ramasan, a tributary of river Ganga, falls under the above said village surrounded by forest land of Rajaji National Park on one side of River and Khair and Sagon trees forest on the other. It is stated that illegal mining has caused big diches in about 10 acres land of River which is already 20 feet deep from ground level. The illegal mining is being carried out in the above said village Khasra No. 1890 to lift 8000 m3 of minerals in view of River Training Policy prepared in the year 2018. The illegal mining which is being carried on within 2 kms from Rajaji National Park and is causing severe damage to biodiversity and environment of the sensitive area

2. Having regard to the seriousness of the allegations, it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a Joint Committee of the State PCB, Divisional Forest Officer, Haridwar and District Magistrate, Haridwar. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of the applicant. Factual and action taken report may be furnished within two

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 3475
GOVT. OF INDIA

months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for consideration on 07/07/2022.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB, Divisional Forest Officer, Haridwar and District Magistrate, Haridwar by e-mail for compliance."

3. That in compliance of the abovementioned directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 18.04.2022, a report by way of Affidavit dated 05th July, 2022 was submitted before this Hon'ble Tribunal.

4. That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 07.07.2022, a report by way of Affidavit was filed.

5. That,thereafter, the matter was listed on 02.12.2022 before this Hon'ble Tribunal, after hearing, the Hon'ble Tribunal was pleased to pass following order:-

"..."

43
31/01/2023

NOTARY GOVT. INDIA
RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 3475

5. We have heard the applicant and learned Counsel for the respondents and gone through the material on record.

6. Since the replies/ reports filed are evasive/vague as to material aspects, we consider it appropriate to seek specific response regarding the same. Accordingly, the State of Uttarakhand is directed to file additional reply giving details as to the following aspects:-

i. whether the mining site in question falls in Reserved Forest Area/Eco-Sensitive Zone, as alleged in letter dated 17.06.2018 sent by Mr. Akash Kumar Verma, Deputy Conservator of Forest, Haridwar Forest Division, Haridwar to the project proponent-Mr. AlokDwivedi with a copy to the District Magistrate, Haridwar.

ii. whether any reply was sent letter to the above said letter by the District Magistrate, Haridwar.

iii. If the mining site in question does not fall in reserved forest, whether the same was situated within radius of 10 kms of Rajaji National Park. Copies of the Google Map Images with Geo Co-ordinates be filed in support of the reply.

iv. whether the project proponent was required to carry out dredging only or was permitted to carry on commercial mining under the River Training Policy, 2020.

v. whether any inspections were made during continuance of the mining lease on completion of 25%, 50% and six months before expiry of the lease period in compliance with directions

43
31/01/2023

NOTARY GOVT. OF INDIA RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475

given by this Tribunal in NGT Bar ASSociation Vs. Virender Singh. Copies of the inspection reports, if any, be attached in support of the reply.

7. Further, in the present case, environmental Compensation is stated to have been imposed on the project proponent who is stated to have filed appeals against the same which are pending. The case also involves question of imposition of Environmental Compensation for illegal mining and utilization thereof amelioration of damage caused. We consider it appropriate to seek information regarding these aspects also. Accordingly, the UEPPCB is also directed to file affidavit giving particulars of cases in which environmental compensation was imposed by UEPPCB in the last five years with details as to the following aspects:-

i. the date on which the environmental compensation was imposed;
ii. amount of the environmental compensation which was imposed;
iii. number of case in which appeal against order imposing environmental compensation are pending;

iv. If no appeal was filed or appeal has been disposed of upholding order imposing environmental compensation, date on which reference for recovery of the environmental compensation was made to the concerned Administrative/Revenue Authorities;

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

v. Number of cases in which recovery proceedings are pending; vi. amount of environmental compensation which was recovered; and vii. amount of Environmental Compensation spent for restoration of environment.

8. In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of officers duly instructed/authorized by the Member Secretary UEPPCB, Deputy Conservator of Forest, Haridwar, Director-Rajaji National Park and the District Magistrate-Haridwar with relevant record before this Tribunal through VC to be essential for assisting this Tribunal in just and fair adjudication of the questions involved in the case and accordingly, such officers shall remain present before this Tribunal through VC on the date fixed.

9. List the matter for consideration on 07.02.2023."

A true copy of the order dated 02.12.2022 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-1.

6. That in compliance of the abovementioned order dated 2.12.2022, the following Report/ Response by way of Affidavit is being submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal:-

   I. That it is relevant to mention herein that the site in question is not falling in forest land, the copy of Google map has been provided by Deputy Conservator of

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

Forest, Haridwar vide its letter no. 2828/2-3 dated 20.01.2023. The copy of the Google map is annexed hereto as ANNEXURE R-2.

II. That according to the letter of the Deputy Conservator of Forest, Haridwar being letter No.2828/2-3 dated 20.01.2023, the land in question is not reserved forest land. A copy of the said letter dated 20.01.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-3. It is also relevant to mention herein that tender for River Training Lot No.12 of Naap Land in the land measuring 8000 Square Meter of Khasra No.1890 of Village RasoolpurMeethaberi for removing in 8000 cubic meter minor minerals was sanctioned to ShriAlokDwivedi son of Shri Chandra PrakashDwivedi, resident of RasoolpurBadaNalowala, Tehsil and District Haridwarand was given on 13.06.2018 in open bid under the provisions of River Training Guidelines, 2016.

III. That it is pertinent to mention herein that the Deputy Conservator of Forest, Haridwar vide its letter

43
31/01/2023

NOTARY GOVT. OF INDIA RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475

No.4654/1-6 dated 17.06.2018 was informed that the passage for entering to the site in question passes through forest land, in view of that the Deputy Conservator of Forest, Haridwar vide its letter No.745/2-3 dated 13.08.2019 had permitted the lease-holder for removing the R.B.M. through forest road entering from section - CutbadAnubhag of Kotawali-5th, Kotawali-6th and Meethiberi-2 of Chidiapur Range. Copies of lettersare annexed hereto and marked as ANNEXURE R-4& ANNEXURE R-5.

IV. That the office of Deputy Conservator of Forest, Haridwar, according to point No.6 of letter No.4361/2-3 dated 13.03.2019, informed that the distance from Rajaji Tiger Reserve to site in question is about 3 kilometer. Looking into the monsoon, the site in question for removing the minor minerals was allotted to the project proponent according to the Uttarakhand River Training Rules 2016 under the powers of Disaster Management Act, 2005.

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. INDIA

V. That after the letter dated 17th June, 2018 issued by Deputy Conservator of Forest, Haridwar, after that Divisional Forest Officer, Haridwar vide letter dated 13.8.2019, had accorded the permission for removing the RBM through forest road entering from section - CutbadAnubhag of Kotawali-5th, Kotawali-6th and Meethiberi-2 of Chidiapur Range.

VI. It is respectfully submitted that the Government vide its letter No.1702/VII-A-1/2021-90(Kha)/2016/TC-III dated 14.10.2021 issued order to ShriAlokDwivedi S/o Shri Chandra PrakashDwivedi resident of Rasoolpur, BadaNarowala Tehsil and District Haridwar, to recover the balance payment of Rs87,31,500/- and fees of Rs.26,00,000/- for removing the excess capacity of 6402.16 Ghan Meter from village RasoolpurMeethriberi, the order was passed into the circumstances.

VII. It is also pertinent to mention herein that tender for River Training Lot No.12 of Naap Land measuring 8000 Square Meter of Khasra No.1890 of Village

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

RasoolpurMeethaberi, for removing the minor minerals was given to avoid the flood situation in the nearby villages on the recommendation of the Joint Committee constituted by Government of Uttarakhand under the provisions of River Training Rules, 2016 vide its letter No.944/VII-1/2018/90Kha/16 dated 13th April, 2018 for the security, and for avoiding the losses lives and property in the nearby villages, for stopping the calamity/disaster in the Moonson, under the provisions of Uttrakhand River Training Rules, 2016 and powers given under the Disaster Management Act, 2005 as desired in view of River Training Rules.

VIII. It is also relevant to mention herein that the Revenue Department and Mining Department are regularly visiting the site in question. It is respectfully submitted that due to illegal mining done outside side the allotted mining lease area,the Assistant Geologist, Mining Unit, Haridwarsent letter No.485 dated 25.11.2021, on the basis of letter dated 25.11.2011, the revenue

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

department and mining department provided the report, and on the basis of said report, the cases Cases No.335/2021 and 336/2021 was filed in the Court of Additional District Judge, (Finance & Revenue) Haridwar and the same are pending. The said cases are related to the recovery of Rs.21,56,000/- (Rupees twenty lakhs fifty six thousand) and Rs.17,00,160/- (rupees seventeen lakhs and hundred and sixty) for illegal removing of 7000 cubic Meter minerals, the proceedings in the said cases are going on, and the disposal of the same are pending and the next date in the matter is 3.2.2023. The copy of the order-sheet is annexed hereto as ANNEXURE R-6.

7. That the present Report /Response by way of Affidavit in compliance of direction passed by this Hon'ble Tribunal is being filed on behalf of State of Uttarakhand for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Haridwar, Uttarakhand on this 31st day of January, 2023.

DEPONENT

RAM GOPAL AGARWAL
Advocate
Reg. No.- UA-1681/04, UP-1585/88
Ch. No.- 152, Distt. & Session Court, Haridwar
Mob.: 9411565633

Filed through:

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand/Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,MayurVihar Phase-I,Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

43
31/01/2023

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

Execution of the Affidavit
admitted and signed before me by
Sri/Smt. Vinay Shankar Pandey S/o Shri Ram Prakash Pandey
Which identified by Shri R. G. Agarwal (Adv)
In the Distt. Court premises of my
Office at Hardwar
at 2:50 A.M./P.M.

31/01/2023

Ram Gopal Agarwal
Notary Advocate
Government of India
Distt. Court Haridwar (U.K.)

221
ANNEXURE R-1

Item No. 02 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 172/2022

Jaswinder Singh ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

Date of hearing: 02.12.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER.

Applicant: Mr. Jaswinder Singh in person.

Respondents: Mr. Rahul Verma, AAG for State of Uttarakhand.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UEPPCB.
Mr. Ajay Veer Pundir, Advocate for the Project Proponent (through VC).

Application is registered based on a letter petition received by post.

ORDER

1. The grievance in this letter petition is that illegal mining is being carried out by use of heavy machinery in private reserved forest land situated in village Rasool Pur Methi Beri, District Haridwar.

2. Vide order dated 18.04.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee of the State PCB, Divisional Forest Officer, Haridwar and District Magistrate, Haridwar and directed the same to furnish report within two months. In compliance thereof the Joint Committee submitted report vide email dated 04.07.2022. Reply was also filed by State of Uttarakhand vide email dated 06.07.2022.

NOTARY GOVT. OF INDIA RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR 8475

3. Vide order dated 07.07.2022, notice was ordered to be issued to the Project Proponent and the State PCB and District Magistrate, Haridwar were directed to take remedial action.

4. Reply and objections have been filed by the project proponent vide email dated 20.09.2022. Report has been filed by the State of Uttarakhand vide email dated 21.09.2022. Additional documents have also been filed by the applicant.

5. We have heard the applicant and learned Counsel for the respondents and gone through the material on record.

6. Since the replies/ reports filed are evasive/vague as to material aspects, we consider it appropriate to seek specific response regarding the same. Accordingly, the State of Uttarakhand is directed to file additional reply giving details as to the following aspects:-

i. whether the mining site in question falls in Reserved Forest Area/Eco-Sensitive Zone, as alleged in letter dated 17.06.2018 sent by Mr. Akash Kumar Verma, Deputy Conservator of Forest, Haridwar Forest Division, Haridwar to the project proponent-Mr. Alok Dwivedi with a copy to the District Magistrate, Haridwar.
ii. whether any reply was sent letter to the above said letter by the District Magistrate, Haridwar.
iii. If the mining site in question does not fall in reserved forest, whether the same was situated within radius of 10 kms of Rajaji National Park. Copies of the Google Map Images with Geo Co-ordinates be filed in support of the reply.

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

iv. whether the project proponent was required to carry out dredging only or was permitted to carry on commercial mining under the River Training Policy, 2020.

v. whether any inspections were made during continuance of the mining lease on completion of 25%, 50% and six months before expiry of the lease period in compliance with directions given by this Tribunal in NGT Bar ASSociation Vs. Virender Singh. Copies of the inspection reports, if any, be attached in support of the reply.

7. Further, in the present case, environmental Compensation is stated to have been imposed on the project proponent who is stated to have filed appeals against the same which are pending. The case also involves question of imposition of Environmental Compensation for illegal mining and utilization thereof amelioration of damage caused. We consider it appropriate to seek information regarding these aspects also. Accordingly, the UEPPCB is also directed to file affidavit giving particulars of cases in which environmental compensation was imposed by UEPPCB in the last five years with details as to the following aspects :-

i. the date on which the environmental compensation was imposed;

ii. amount of the environmental compensation which was imposed;

iii. number of case in which appeal against order imposing environmental compensation are pending;

iv. If no appeal was filed or appeal has been disposed of upholding order imposing environmental compensation, date on which reference for recovery of the environmental compensation was made to the concerned Administrative/Revenue Authorities;

v. Number of cases in which recovery proceedings are pending;

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 GOVT. OF INDIA

vi. amount of environmental compensation which was recovered; and

vii. amount of Environmental Compensation spent for restoration of environment.

8. In the facts and circumstances of the case, we also consider presence of officers duly instructed/authorized by the Member Secretary-UEPPCB, Deputy Conservator of Forest, Haridwar, Director-Rajaji National Park and the District Magistrate-Haridwar with relevant record before this Tribunal through VC to be essential for assisting this Tribunal in just and fair adjudication of the questions involved in the case and accordingly, such officers shall remain present before this Tribunal through VC on the date fixed.

9. List the matter for consideration on 07.02.2023.

10. Copy of this order be sent to the Member Secretary-UEPPCB, Deputy Conservator of Forest, Haridwar, Director-Rajaji National Park and the District Magistrate-Haridwar, by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

December 02, 2022
AVT

//TRUE COPY//

NOTARY GOVT. OF INDIA
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475

ANNEXURE-2 (225)

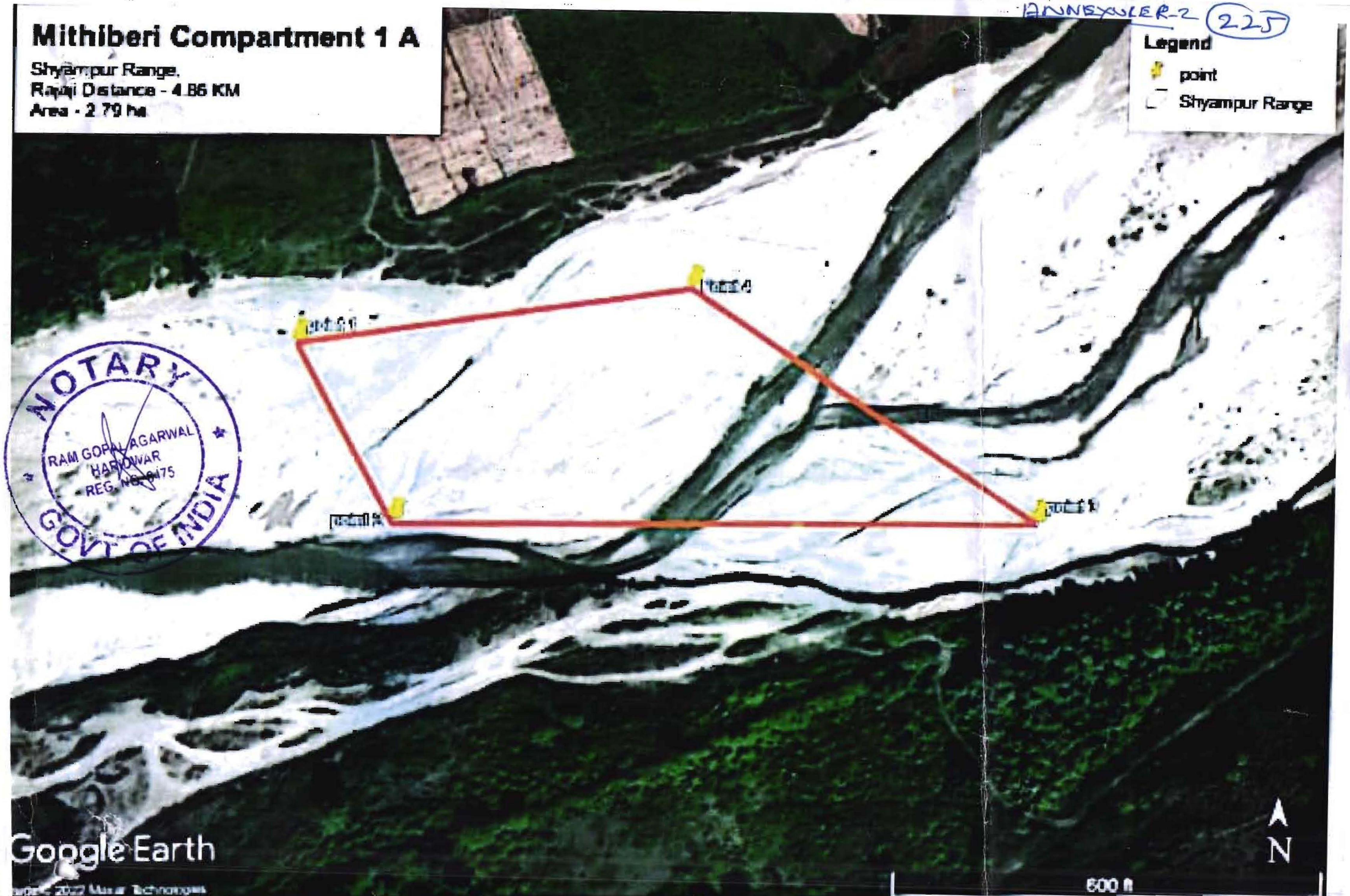

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

226
ANNEXURE R-3

कार्यालय– उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष / फैक्स - 01334 226271 email :- dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्र संख्या:- 2828 /2-3 हरिद्वार दिनांक : 20 जनवरी, 2023

सेवा में

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषय : **For Compliance of order dated 02.12.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.**

सन्दर्भः **आपका पत्रांक 836/एल0बी0ए0–2022 दिनांक 09.12.2022 एवं श्री राहुल वर्मा, एडिशनल जनरल एडवोकेट, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 08.12.2022, ओ0ए0न0 172/2022 एवं मा0 एनजीटी द्वारा मूलवाद सं0 172/2022 जसविन्द्र बनाम उत्तराखण्ड स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2022 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार से अपेक्षित आख्या निम्न प्रकार आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है:–

1. यह कि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक–1019/खनन सहा0 (निलामी), दिनांक–25.10.2021 से श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी रसूलपुर बडा नलोवाला तहसील व जिला हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मिठ्ठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–1890 क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर में 8000 घन मीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलबा निस्तारण किये जाने हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में 8000 घन मीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलबा निस्तारण किये जाने हेतु 2 माह की अवधि के लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उपरोक्त क्षेत्र हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार की आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है, परन्तु आरक्षित वन भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है, तथा राजाजी टाइगर रिजर्व के 10 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत है।

   यह कि क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक–यू.के.पी.सी.बी./आर0ओ0आर0/सा0–147 (35)/2022/157 दिनांक–06.05.2022 द्वारा विषयाकिंत प्रकरण के सम्बन्ध में विषयक क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था, के क्रम में हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा श्री विनय राठी, वन क्षेत्राधिकारी को नामित किया गया था। संयुक्त कमेटी जिसमें खनन अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजीत सिंह, श्री विनय राठी वन क्षेत्राधिकारी, श्री हरीश ध्यानी प्रभागीय सर्वेयर एवं वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर के कर्मचारी श्री नारायण सिंह वन दरोगा व श्री शिवेक कुमार वन रक्षक मौजूद थे। संयुक्त कमेटी द्वारा मौके पर क्षेत्र के फोटोग्राफ लिये गये जो इस कार्यालय के पत्रांक 7101/2–3, दिनांक 02.06.2022 से आपको संलग्न कर प्रेषित किये गये थे।

2 उक्त बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नहीं है।

3 KMLFile संलग्न है।

4 उक्त बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नहीं है।

5 उक्त बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नही है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

भवदीय

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

कार्यालय– उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार। 227

दूरभाष/फैक्स–01334 226271 email:- dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्र संख्या :– 2828 /2–3 हरिद्वार दिनांक : 20 जनवरी, 2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः For Compliance of order dated 02.12.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 836/एल0बी0ए0–2022निांक 09.12.2022 एवं श्री राहुल वर्मा, एडिशनल जनरल एडवोकेट, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 08.12.2022, ओ0ए0न0 172/2022 एवं मा0 एनजीटी द्वारा मूलवाद सं0 172/2022 जसविन्द्र बनाम उत्तराखण्ड स्टेट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार से अपेक्षित आख्या निम्न प्रकार आपके अवलोकनार्थ प्रेषित है:–

1. यह कि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक –1019/खनन सहा0 (निलामी), दिनांक 25.10.2021 से श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश निवासी रसूलपुर बडा नलोवाला तहसील व जिला हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मिठ्ठीबेरी क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या– 1890 क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर में 8000 घनमीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलबा निस्तारण किये जाने हेतु रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में 8000 घन मीटर भूमि से अवशेष आर0बी0एम0/मलबा निस्तारण किये जाने हेतु 02 माह की अवधि के लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उपरोक्त क्षेत्र हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार की आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत नही हे, परन्तु आरक्षित वन भूमि से लगा हुआ है, तथा राजाजी टाइगर रिजर्व के 10 कि0मी0 परिधि के अन्तर्गत है।

   यह कि क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक– यू.के.पी.सी.बी/आर0ओ0आर0/सा0–147 (35)/2022/157 दिनांक 06.05.2022 द्वारा विषयाकिंत प्रकरण के सम्बन्ध में विषयक क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था।, के क्रम में हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार द्वारा श्री विनय राठी, वन क्षेत्राधिकारी को नामित किया गया था। संयुक्त कमेटी जिसमें खनन अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री अजीत सिंह, श्री विनय राठी वन क्षेत्राधिकारी, श्री हरीश ध्यानी प्रभागीय सर्वेयर एवं वन क्षेत्राधिकारी, श्यामपुर के कर्मचारी श्री नारायण सिंह वन दरोगा व श्री शिवेक कुमार वन रक्षक मौजूद थे। संयुक्त कमेटी द्वारा मौके पर क्षेत्र के फोटोग्राफ लिये गये जो इस कार्यालय के पत्रांक 7101/2–3,दिनांक 02.06.2022 से आपको संलग्न कर प्रेषित किये गये थे।
2. उक्त बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नही है।
3. KML File संलग्न है।
4. उक्त बिनदु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नही है।
5. उक्त बिन्दु पर प्रभाग स्तर से आख्या अपेक्षित नही है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
ह0/–
(मयक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 3475 GOVT. OF INDIA

TYPED TRUE COPY

228
ANNEXURE R-4

कार्यालय, उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स : 01334–226271. email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 4654 / 1–6 हरिद्वार, दिनांक: 17 जून 2018 (95)

सेवा में,

श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश,
निवासी– रसूलपुर बड़ा, नलोवाला,
तहसील व जिला हरिद्वार।

विषय :– **चिड़ियापुर रेंज अन्तर्गत कार्यस्थल से कटेबड़ के समीप लालढांग– गैण्डीखाता तक वन मोटर मार्ग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– आपका पत्र दिनांक रिक्त, जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्र सं0 684 / खनन सहा0(नीलामी)–2018 दि0 13.06.2018।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के संदर्भित पत्र द्वारा मानसून के दृष्टिगत, तथा उत्तराखण्ड रीवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा आपको जनपद की तहसील हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी में लॉट सं0 01, खसरा सं0 1890, रकबा 8000वर्ग मी0 से 8000घ0मी0 उपखनिज निकाले / हटाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा निकासी के लिए कार्यस्थल से कटेबड़ चौकी (गैण्डीखाता–लालढांग लो0नि0मार्ग) तक वन मार्ग की अनुमति चाही गई है।

आप विदित होंगे कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमा के 10 कि0मी0 के दायरे में खनन पर रोक लगाई गई है। आपका स्वीकृत क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की सीमा के 10 कि0मी0 के अन्तर्गत आता है। कृपया इस तथ्य, कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल का आदेश आपके स्वीकृत कार्यक्षेत्र पर लागू होता है अथवा नहीं– की पुष्टि आपके आदेश निर्गमन अधिकारी से कराते हुए अवगत कराएँ, ताकि वन मार्ग की स्वीकृति देने में मा0 उच्च न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना न हो।

NOTARY
GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

संख्या / दिनांकित

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

ATTESTED TRUE COPY

229

कार्यालय– उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष/फैक्स–01334 226271 email:- dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्र संख्या :– 24654 /1–6 हरिद्वार दिनांक : 17 जून, 2018

सेवा में,

श्री आलोक द्विवेदी पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश,
निवासी –रसूलपुर बडा, नलोवाला,
तहसील व जिला हरिद्वार।

विषयः चिड़ियापुर रेंज अन्तर्गत कार्यस्थल से कटेबड के समीप लालढांग– गैण्डीखाता तक वन मोटर मार्ग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र दिनांक रिक्त, जिलाधिकारी, हरिद्वार का पत्र सं0 684/खनन सहा0 (नीलामी)– 2018 दि0 13.06.2018।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार के संदर्भित पत्र द्वारा मानसून के दृष्टिगत, तथा उत्तराखण्ड रीवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अनुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों के अनतर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा आपको जनपद की तहसील हरिद्वार के ग्राम रसूलपुर मीठीबेरी में लॉट सं0 01, खसरा सं0 1890, रकबा 8000 वर्ग मी0 से 8000 घ0मी0 उपखनिज निकाले/हटाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा निकासी के लिए कार्यस्थल से कटेबड चौकी (गैण्डीखाता– लालढाग लो0 नि0 मार्ग) तक वन मार्ग की अनुमति चाही गई है।

आप विदित होगे कि मा0 उच्च न्यायायल उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की सीमा के 10 कि0मी0 के दायरे में खनन पर रोक लगाई गई हे। आपका स्वीकृत क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की सीमा के 10 कि0मी0 के अन्तर्गत आता है। कृपया इस तथ्य , कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल का आदेश आपके स्वीकृत कार्यक्षेत्र पर लागू होता है अथवा नही– की पुष्टि आपके आदेश निर्गमन अधिकारी से कराते हुए अवगत कराएँ, ताकि वन मार्ग की स्वीकृति देने में मा0 उच्च न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना न हों।

भवदीय,
ह0
(आकाश कुमार वर्मा),
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

संख्या / दिनांककित

प्रतिलिपि–वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त , उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा),
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 GOVT. OF INDIA

TYPED // TRUE COPY //

ANNEXURE R-5

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 745 /2-3 हरिद्वार, दिनांक 13-8-2018

ADM(F&R)/ 80 / MMA

सेवा में,

श्री आलोक द्विवेदी,
पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश, निवासी,
रसूलपुर बड़ा नलोवाटा,
तहसील व जिला हरिद्वार।

जिलाधिकारी
हरिद्वार

विषय : मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 983/खनन सहा0(नीलामी) 2018 दिनांक 11.08.2018 के क्रम में उपखनिज निकासी हेतु मार्ग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2018,

आपको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक–983/खनन सहा0(नीलामी)–2018 दिनांक 11 अगस्त 2018 द्वारा रसूलपुर मीठीबेरी से आर0बी0एम0 निकासी की अनुमति दिनांक 13.08.2018 से एक सप्ताह तक की प्राप्त हुई है। आपके द्वारा अवधि के दौरान कार्यस्थल से गैण्डीखाता–लालढांग लो0नि0मार्ग (कटेबड़ चौकी) तक उक्त अवधि "वन मार्ग उपयोग की अनुमति" अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में आपको चिड़ियापुर रेंज के कटेबड़ अनुभाग के कोटावाली–5बी/कोटावाली–6 व मीठीबेरी–2 कक्ष से होकर गुजरने वाले वन मार्ग के लिये आर0बी0एम0 की निकासी निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. पट्टाधारको को प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार के नाम से रू0 100000/– की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 बन्धक जमानत के रूप में जमा करानी होगी। शर्तों के अनुपालन में अनियमितता होने/वन सम्पदा की क्षति होने पर बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है।
2. खनन कार्य में लगे वाहनों का पंजीकरण एवं इससे जुड़े चालक एवं श्रमिकों का नाम पता स्थानीय रेंज कार्यालय को दिया जाना होगा।
3. पट्टा धारक द्वारा इस मार्ग से उप खनिज की निकासी की जाती है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराना होगा।
4. वन क्षेत्र का उपयोग करने की अवधि में वनों एवं वन्य जीवों को कोई क्षति न हो इसका पूर्ण उत्तरादायित्व पट्टाधारक का होगा।
5. अनुमन्य किये गये वन मोटर मार्ग पर प्रथम वाहन निकासी से पूर्व प्रातः में पानी का छिड़काव करना होगा।
6. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 एंव भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ट्रांजिट रूल्स 1978 तथा अन्य सम्बन्धित सभी नियमों एवं अधिनियमों की शर्तों का पूर्ण अनुपालन करना करना पट्टाधारक का उत्तरादायित्व होगा।
7. किसी न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन न हो।
8. आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार की वन उपज यथा–पत्थर, रेज, बजरी, मिट्टी का संग्रहण एकत्रीकरण तथा खनन/चुगान करना वर्जित रहेगा।
9. वन क्षेत्र के अन्तर्गत असामाजिक तत्वों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा।
10. वन क्षेत्र में किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र/हथियार ले जाना मना होगा।
11. उक्त मार्ग के अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्र में अन्य किसी मार्ग/लीक का प्रयोग पूर्ण वर्जित होगा।

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 GOVT. OF INDIA

D:\New Revenue 2015\Khanan Latter

231

12. वन विभाग की सम्पदा के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जाएगी।
13. आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार से श्रमिकों/कारिंदों का सूर्यास्त के बाद रहना/रात्रि में रहने हेतु कोई झोपड़ी इत्यादि बनान वर्जित है।
14. अभिवहन के लिये प्रयुक्त वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।
15. वन क्षेत्र में शौच आदि की अनुमति नहीं है।
16. किसी वन्य जीव से घायल अथवा चोटिल होने पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
17. अभिवहन की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनुमन्य होगी।
18. जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों का पूर्णरूप से अनुपालन करना होगा।

यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

पत्रांक : 745 /( ) तददिनांकित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– रेंज अधिकारी, चिड़ियापुर रेंज को सूचनार्थ एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को अवगत कराने के उद्देश्य से सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 GOVT. OF INDIA

TRUE COPY

D:\New Revenue 2015\Khanan Latter

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार। 272

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email dfo_ hardwar@rediffmail.com

पत्रांकः 745 / 23 हरिद्वार दिनांक 13.08.2018

ADM(F&R/OC MMA

ह0 / –
जिलाधिकारी
हरिद्वार।
14.08.18

सेवा में,

श्री आलोक द्विवेदी,
पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश, निवासी,
रसूलपुर बड़ा नलोवाला,
तहसील व जिला हरिद्वार।

विषयः– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 983 / खनन सहा0(नीलामी) 2018 दिनांक 11.08.2018 के क्रम में उपखनिज निकासी हेतु मार्ग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2018

आपको माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 08.08.2018 एवं जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 983 / खनन सहा0(नीलामी) 2018 दिनांक 11.08.2018 द्वारा रसूलपुर मीठीबेरी से आर0बी0एम0 निकासी की अनुमति दिनांक 13.08.2018 से एक सप्ताह तक की प्राप्त हुई है। आपके द्वारा अवधि के दौरान कार्यस्थल से गैण्डीखाता–लालढांग लो0नि0मार्ग (कटैबड़ चौकी) तक उक्त अवधि ''वन मार्ग उपयोग की अनुमति'' अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में आपको चिड़ियापुर रेंज के कटेबड़ अनुभाग के कोटावाली– 5बी, कोटावाली–6 व मीठम्बेरी–2 कक्ष से होकर गुजरने वाले वन मार्ग के लिये आर0बी0एम0 की निकासी निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. पटटाधारकों को प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार के नाम से रू0 100000 / – की एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 बन्धक जमानत के रूप में जमा करानी होगी। शर्तों के अनुपालन में अनियमितता होने / वन सम्पदा की क्षति होने पर बन्धक धनराशि जब्त की जा सकती है।
2. खनन कार्य में लगे वाहनों का पंजीकरण एवं इससे जुड़े चालक एवं श्रमिकों का नाम पता स्थालीय रेंज कार्यालय को दिया जाना होगा।
3. पटटा धारक द्वारा मार्ग से उपखनिज की निकासी की जाती है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराना होगा।

OC/MMA
ह0 / –

अपर जिलाधिकारी,
हरिद्वार।
18.08.2018

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

233

4. वन क्षेत्र का उपयोग करने की अवधि में वनों एवं वन्य जीवों को कोई क्षति न हो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व पटटाधारक का होगा।

5. अनुमन्य किये गये वन मोटर मार्ग पर प्रथम वाहन निकासी से पूर्व प्रातः में पानी का छिड़काव करना होगा।

6. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ट्रांजिट रूल्स 1978 तथा अन्य संबंधित सभी नियमों एवं अधिनियमों की शर्तों का पूर्ण अनुपालन करना पटटाधारत का उत्तरदायित्व होगा।
7. किसी न्यायालय/प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन न हो।
8. आरक्षित वन क्षेत्र में किसी प्रकार की वन उपज यथा–पत्थर, रेंज, बजरी, मिटटी का संग्रहण एकत्रीकरण तथा खनन/चुगान करना वर्जित रहेगा।
9. वन क्षेत्र के अंतर्गत असामाजिक तत्वों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
10. वन क्षेत्र में किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र/हथियार ले जाना मना होगा।
11. उक्त मार्ग के अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्र में अन्य किसी मार्ग/लीक का प्रयोग पूर्ण से वर्जित होगा।
12. वन विभाग की सम्पदा के नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की कार्यवाही विभागीय नियमानुसार की जायेगी।
13. आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार से श्रमिकों/कारिंदों का सूर्यास्त के बाद रहना/रात्रि में रहने हेतु कोई झोपड़ी इत्यादि बनाना वर्जित है।
14. अभिवहन के लिये प्रयुक्त वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिये।
15. वन क्षेत्र में शौच आदि की अनुमति नहीं है।
16. किसी वन्य जीव से घायल अथवा चोटिल होने पर वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
17. अभिवहन की अनुमति सूर्योदय से सूर्यास्त तक अनुमन्य होगी।
18. जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों का पूर्णरूप से अनुपालन करना होगा।

यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो उक्त अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

पत्रांकः 745/() तद्दिनांकित
प्रतिलिपि–जिलाधिकारी हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– रेंज अधिकारी, चिड़ियापुर रेंज को सूचनार्थ एवं संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराने के उददेश्य से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

UTKUE COPY
6

234
ANNEXURE R-6

न्यायालय / कार्यालय अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

मूलवाद-335/21

वाद संख्या: 180 /2022

धारा–विविध / नियम 14–5(क)(ख)(ग) उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)मियमावली 2021

सरकार बनाम आलोक द्विवेदी पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी रसूलपुर बड़ा नलोवाला, तहसील व जनपद हरिद्वार एवं श्री चरत सिंह,जगराम सिंह, महावीर सिं, बलवीर व राजबीर सिंह आदि तहसील व जनपद हरिद्वार

24.05.2022

यह पत्रावली खनन अनुभाग से प्राप्त। वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सुनवाई हेतु संबंधित को पृथक–पृथक नोटिस जारी होंवे। पत्रावली दिनांक 24.06.2022 को पेश होंवे

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

24.06.22

... पत्रावली दि० 05/08/2022 को पेश हों।

05/08/22
चरत सिंह
महावीर सिंह
जगराम सिंह
बलवीर
राजवीर सिंह

05.08.2022

प्रस्तुत। विपक्षी संख्या 1 की आपत्ति प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 की आपत्ति हेतु दि. 23.09.22 नियत

RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 NOTARY GOVT. OF INDIA

23.09.22

23/9/22

आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 14/10/22 को पेश हों।

पेशकार

14/10/22

14/X/22

प्रस्तुत। विपक्षी संख्या 2 का जवाब प्राप्त। सुनवाई हेतु दि. 29.10.22 नियत

05/11/2022

जगराम
राजवीर सिंह

29/10/22

आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 05/11/22 को पेश हों।

पेशकार

दि. 05.11.22
चरत सिंह

05.11.22 प्रस्तुता अभियोगी हाजिर। पुनरावलोकन हेतु दि. 15.11.22 नियत। — 15.11.22 Alok

19.11.22 प्रस्तुता आलोक द्विवेदी भी ओर से आपत्ति प्रस्तुता चरत सिंह भी अधिवक्ता द्वारा अन्तरिम हेतु प्रार्थना किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 26.11.22 नियत। — चरत सिंह 26.11.22 Alok

26.11.22 प्रस्तुता पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की आंशिक बहस सुनी गई। शेष बहस हेतु दि. 16.12.22 नियत। — Alok

16.12.22 प्रस्तुता अन्तरिम हेतु अनुरोध किया गया। अधिवक्ता ... प्रदान करते हुए दि. 13.01.23 बहस हेतु नियत। — Alok

13.01.23 पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्यों से बाहर। पत्रावली दि. 20.01.23 को पेश हो। — 20.01.2023

पेशकार

20.01.23 पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्य से बाहर। पत्रावली दि. 27.01.23 को पेश हो। — 27.01.23

27.01.23 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। पत्रावली दि. 03.02.23 को पेश हो। — 03.02.23

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

236

न्यायालय अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

मूल वाद संख्याः—336/21

वाद संख्याः 180/2022

धारा—विविध/नियम 14—5(क)(ख)(ग)
उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन,परिवहन
एवं भण्डारण का निवारण)नि0— 2021

सरकार बनाम आलोक द्विवेदी व अन्य

24.05.2022 आज यह पत्रावली खनन अनुभाग से प्राप्त। वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सुनवाई हेतु संबंधित को पृथक—पृथक नोटिस जारी होंवे। पत्रावली दिनांक 24.06.2022 को पेश होंवे।

अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व)
हरिद्वार।

24.06.22 बार संघ की ओर से कार्य न करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्रावली दि० 05.08.22 को पेश हों।

पेशकार

05.08.22 प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर आयाति अग्रिम वास्ते आयाति दि 23.09.22 नियत।

P.O.

23.09.22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 14.10.22 को पेश हों।

पेशकार

14.10.22 प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर आयाति हेतु [illegible] वास्ते आयाति दि. 05.11.22 नियत।

P.O.

NOTARY RAM GOPAL AGARWAL HARIDWAR REG. NO. 8475 GOVT. OF INDIA

05.11.22 आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 19.11.22 को पेश हों।

पेशकार

19.11.22 प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर आयाति अग्रिम वास्ते आयाति दि. 26.11.22

26.11.22 प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। शेष सुनवाई हेतु दि. 16.12.22 नियत।

P.O

Alok

16.12.22 प्रस्तुत। अन्य तिथि हेतु अनुरोध किया गया। अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दि. 13.01.23 नियत।

P.O

13.01.23 पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्य से बाहर गये। पत्रावली दि. 20.01.23 को पेश हो।

पेशकार

20.01.23 पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्य से जनपद से बाहर गये। पत्रावली दि. 27.01.23 को पेश हो।

पेशकार

27.01.23 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। पत्रावली दि. 03.02.23 को पेश हेतु नियत। 03.02.23

पेशकार

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

न्यायालय अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार। 238

मूल वाद संख्यः—335 / 21
वाद संख्याः 180 / 2022

धारा—विविध / नियम 14—5(क)(ख)(ग) उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नि0— 2021

सरकार बनाम आलोक द्विवेदी पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी रसूलपुर बड़ा नलोवाला, तहसील व जनपद हरिद्वार एवं श्री चरत सिंह, जगराम सिंह, जगराम सिंह, महावीर सिंह,बलवीर व राजबीर सिंह आदि तहसील व जनपद हरिद्वार।

24.05.2022	यह पत्रावली खनन अनुभाग से प्राप्त। वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सुनवाई हेतु संबंधित को पृथक—पृथक नोटिस जारी होंवे। पत्रावली दिनांक 24.06.2022 को पेश होंवे। ह0 / — अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
24.06.2022	बार संघ की ओर से कार्य न करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक 05.08.22 को पेश हों। ह0 / — पेशकार
05.08.2022	प्रस्तुत। विपक्षी संख्या 1 की आपत्ति प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 को आपत्ति हेतु दिनांक 23.09.22 नियत ह0 / — पी0ओ0
23.09.22	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 14.10.22 को पेश हो। ह0 / — पेशकार
14.10.22	प्रस्तुत। विपक्षी संख्या 2 का जवाब प्राप्त। सुनवाई हेतु दिनांक 29.10.22 नियत ह0 / — पी0ओ0
29.10.22	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 05.11.22 को पेश हो। ह0 / — पेशकार
05.11.22	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 19.11.22 नियत

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

05.11.22	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 19.11.22 नियत ह0/– पी0ओ0
19.11.22	प्रस्तुत। आलोक द्विवेदी की ओर से आपत्ति प्रस्तुत। चरत सिंह के अधिवक्ता द्वारा अनय तिथि हेतु प्रात्र पत्र दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.11.22 नियत ह0/– पी0ओ0
26.11.22	प्रस्तुत। पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की आंशिक बहस सुनी गई। शेष बहस हेतु दिनांक 16.12.22 नियत ह0/– पी0ओ0
16.12.22	प्रस्तुत। अन्य तिथि हेतु अनुरोध किया गया। अंकित अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 13.01.23 बहस हेतु नियत ह0/– पेशकार
13.01.23	पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्यो से बाहर पत्रावली दिनांक 20.01.23 को पेश हो। ह0/– पेशकार
20.01.23	पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्यो से बाहर पत्रावली दिनांक 27.01.23 को पेश हो। ह0/– पेशकार
27.01.22	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। पत्रावली दिनांक 03.02. 2023 को पेश हेतु नियत ह0/– पेशकार

NOTARY
RAM ... AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

2490

न्यायालय अपर कलेक्टर,(वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।

मूल वाद संख्यः–336 / 21
वाद संख्याः 180 / 2022

धारा–विविध / नियम 14–5(क)(ख)(ग)
उत्तराखंड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नि0– 2021

सरकार बनाम आलोक द्विवेदी व अन्य

24.05.2022	आज यह पत्रावली खनन अनुभाग से प्राप्त। वाद दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सुनवाई हेतु संबंधित को पृथक–पृथक नोटिस जारी होंवे। पत्रावली दिनांक 24.06.2022 को पेश होंवे। ह0 / – अपर कलेक्टर, (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार।
24.06.2022	बार संघ की ओर से कार्य न करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्रावली दिनांक 05.08.22 को पेश हों। ह0 / – पेशकार
05.08.2022	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। आपत्ति अप्राप्त। वास्ते आपत्ति दिनांक 23.09.22 नियत ह0 / – पी0ओ0
23.09.22	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 14.10.22 को पेश हो। ह0 / – पेशकार
14.10.22	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। आपत्ति हेतु समय चाहा गया। वास्ते आपत्ति दिनांक 05.11.22 नियत ह0 / – पी0ओ0
05.11.22	आज पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 14.10.22 को पेश हो। ह0 / – पेशकार
19.11.22	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। आपत्ति प्राप्त। वास्तु सुनवाई दिनांक 26.11.22 नियत ह0 / – पी0ओ0

NOTARY GOVT. OF INDIA
AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8419

24

26.11.22	प्रस्तुत। विपक्षी हाजिर। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। शेष सुनवाई हेतु दिनांक 16.12.22 नियत ह0 / – पी0ओ0
16.12.22	प्रस्तुत। अन्य तिथि हेतु अनुरोध किया गया। अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 13.01.23 नियत ह0 / – पी0ओ0
13.01.23	पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्यों से बाहर गये। पत्रावली दिनांक 20.01.23 को पेश हो। ह0 / – पेशकार
20.01.23	पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्यों से जनपद से बाहर गये। पत्रावली दिनांक 20.01.23 को पेश हो। ह0 / – पेशकार
27.01.23	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। पत्रावली दिनांक 03.02. 2023 को पेश हो। ह0 / – पेशकार

NOTARY
RAM GOPAL AGARWAL
HARIDWAR
REG. NO. 8475
GOVT. OF INDIA

// TRUE TYPED COPY //